

डिक्री मूल वाद पत्र  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
**पीठासीन अधिकारी :-अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :- 79/2024

गुरप्रीत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।

—वादी

—:बनाम:-

1. हाकम सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
2. मघर सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन सिविल लाईन हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
3. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
4. सुखविन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
5. नाजर सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
6. राजपाल कौर पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
7. जसप्रीत कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
8. बलविन्द्र कौर पुत्री हाकम सिंह पत्नी बलवन्त सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन वार्ड नं. 13 गदराना रोड, कालावाली मंडी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा ।
9. हरविन्द्र कौर पुत्री हाकम सिंह पत्नी बलवीर सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन वार्ड नं. 13 गदराना रोड, कालावाली मंडी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा ।
10. सुखदीप कौर पुत्री हाकम सिंह पत्नी अवतार सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 11 रतनपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
11. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

— प्रतिवादीगण


**दावा अन्तर्गत 53, 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

—:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 की ओर से श्री चानण राम अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत खाता विभाजन कर आटीए की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

(क) वादी/प्रथम पक्ष को प्राप्त कृषि भूमि:-

तहसील पीलीबंगा के चक 20 जेआरके प.नं. 42/252 मु.नं. 30 के किला नं. 6/1/0.126, नहरी व प.नं. 43/252 के मु.न. 31 के किला नं. 10/0. 253 अनकमाण्ड व प.नं. 42/251 के मु.नं. 30 के किला नं. 6/1/0.050, 7, 8 की कुल 0.556 हैक्ट. अनकमाण्ड इस प्रकार तीनों पत्थरो कुल 0.935 हैक्ट.कमाण्ड अनकमाण्ड का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

  
सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

**(ख) प्रतिवादी सं. 02/द्वितीय पक्ष को प्राप्त कृषि भूमि:-**

तहसील पीलीबंगा के चक 20 जेआरके प.नं. 43/252 मु.नं. 31 के किला नं. 3/3/0152, 3/4/0.025, 8 की कुल 0.430 हैक्ट. नहरी गैर मु. खाला व प.नं. 42/251 के मु.नं. 24 के किला नं. 9, 10 की कुल 0.506 हैक्ट. अनकमाण्ड इस प्रकार दोनों पत्थरों की कुल 0.936 हैक्ट. नहरी अनकमाण्ड गैर मु. खाला खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

**(ग) प्रतिवादी सं. 03/द्वितीय पक्ष को प्राप्त कृषि भूमि:-**

तहसील पीलीबंगा के चक 20 जेआरके प.नं. 42/251 मु.नं. 24 के किला नं. 21, 22/1/0.195 की कुल 0.448 हैक्ट. अनकमाण्ड का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


**(घ) प्रतिवादी सं. 04/द्वितीय पक्ष को प्राप्त कृषि भूमि:-**

तहसील पीलीबंगा के चक 20 जेआरके प.नं. 43/252 मु.नं. 31 के किला नं. 21, 22 की कुल 0.506 हैक्ट. नहरी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि धण्डर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के गार मुक्ता होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 08/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा